Phone-0120-2783617
Fax-0120-2783618
E-mail-dfogzb@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।

पत्रांक 1570 /14–1, दिनांक, गाजियाबाद 17 सितम्बर, 2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता जोन–5,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

विषयः एन0एच0–9 से गालन्द में प्रस्तावित कूड़ा घर तक अपर गंग नहर की मील 106.775 से 107 तक (कि0मी0 170.84 से कि0मी0 171.2) बांयी पटरी ग्राम मसूरी, तहसील गाजियाबाद, जनपद गाजियाबाद एवं अपर गंग नहर की मील 107 से 107.984 तक (कि0मी0 171.2 से कि0मी0 172.775 तक) बांयी पटरी ग्राम पिपलेहड़ा, तहसील धौलाना, जनपद हापुड़ पर एप्रोच रोड के निर्माण कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग एवं हापुड़ वन प्रभाग के अन्तर्गत एन0एच0–9 से गालन्द में प्रस्तावित कूड़ा घर तक अपर गंग नहर की मील 106.775 से 107 तक (कि0मी0 170.84 से कि0मी0 171.2) बांयी पटरी ग्राम मसूरी, तहसील गाजियाबाद, जनपद गाजियाबाद एवं अपर गंग नहर की मील 107 से 107.984 तक (कि0मी0 171.2 से कि0मी0 172.775 तक) बांयी पटरी ग्राम पिपलेहड़ा, तहसील धौलाना, जनपद हापुड़ पर एप्रोच रोड के निर्माण कार्य की संरक्षित वन भूमि के सम्बन्ध में भाग–1 स्वीकृति उपरान्त प्राप्त हुआ। अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपके साथ दिनांक 16.08.2019 एवं 27.08.2019 को स्थल के निरीक्षण पर उक्त मार्ग के चौड़ीकरण के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक मार्ग का संरखण टोपोशीट में नहीं दर्शाया गया है और न ही आज तक टोपोशीट में वैकल्पिक मार्ग को दर्शा कर इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है। उपरोक्त के अनुपलब्धता के कारण प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पाई है। उपरोक्त कार्य वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत समयबद्ध कार्य है। उक्त सूचना प्राप्त न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

अतः आप वांछित सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

E:/Joshi Jii/Adhisashi Abhiyanta Zone-5, Gzb